बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82 / 2020...6864 **पटना, दिनांक** :–08/09/2023

आदेश

शिविर प्रभारी, चनपतिया – 01 के पत्रांक 09 दिनांक 31.01.2023 के आधार पर बंदोबस्त पदाधिकारी, प0चम्पारण(बेतिया) के पत्रांक 338 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुश्री कुसुम पाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01280) को आवंटित राजस्व ग्राम का सभी अभिलेख एवं उपस्कर शिविर कार्यालय में जमा कर दिनांक 05.01.2023 से बिना किसी सूचना के अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित हैं, जिसके फलस्वरूप उक्त शिविर का कार्य बाधित होने के कारण सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4941 दिनांक 15.06.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग इस शर्त्त के साथ की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा लगभग दो माह बाद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

पुनः निदेशालय पत्रांक 5848 दिनांक 14.07.2023 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बंदोबस्त पदाधिकारी से सुस्पष्ट मंतव्य एवं अनुशंसा की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 582 दिनांक 01.08.2023 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा एवं प्राप्त मंतव्य तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है। आरोपित से पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश एवं स्वेच्छाचारिता को प्रमाणित करता है। इनके कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि इनको कार्य के प्रति रूचि नहीं है और न ही ये कार्य करने के इच्छुक हैं। बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण सर्वेक्षण जैसा महत्वपूर्ण कार्य बाधित हुआ है। ऐसे कर्मियों के रहते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है एवं इसका कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इस दृष्टिकोण से इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत सुश्री कुसुम पाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01280) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 8/9/23

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82 / 2020...6864 **पटना, दिनांक** :–08/09/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री कुसुम पाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01280), बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 8/9/23

भू–अभिलेख एवं परिमाप

पु0 सू0 630

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82/2020 6864 **पटना, दिनांक** :- 08/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण(बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(प0चम्पारण)–82/2020 6864 **पटना, दिनांक** :– 08/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित सुश्री पाल की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप